

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] No. 446] नई दिल्ली, मंगलवार नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिसूचना

गुलबर्गा, 23 नवंबर, 2017

सं. सीयूके/जीओवी/एफ.एनओ.1446/2017—18.—सामान्य जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रकाशित किया गया है:-

द्वितीय और एनस्यूइंग कोर्ट के गठन पर कर्नाटक की केंद्रीय विश्वविद्यालय धारा 26 (बी) की धारा 27 (2) और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के संविधान 10 के साथ पढ़ा जाने के अनुसार ।

मौजूदा संविधान 10

प्रस्तावित संशोधित संविधि 10

- (1) कोर्ट की वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी, जब तक कि किसी भी वर्ष के कोर्ट द्वारा तय नहीं किया गया हो।
- (2) कोर्ट की वार्षिक बैठक में, पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर एक रिपोर्ट, एक साथ रसीदों और व्यय के एक बयान के साथ, लेखा परीक्षा के रूप में बैलेंस शीट, और अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किया।
- (3) प्राप्तियां और व्यय, बकाया पत्र और वित्तीय प्रावधानों के बयान के संदर्भ में (2) वार्षिक बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कोर्ट के प्रत्येक सदस्य के लिए होगा।
- (4) रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकारी परिषद या उपकुलपित या कुलपित, प्रो. कुलपित या उप-कुलपित द्वारा कोर्ट की विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं।
- (5) कोर्ट के ग्यारह सदस्य कोर्ट की एक बैठक के लिए एक कोरम बनाएंगे।
- 10 (1) कोर्ट की वार्षिक बैठक कुलपति की सिफारिशों पर चांसलर द्वारा आयोजित की जाएगी।

6934 GI/2017 (1)

- (2) कोर्ट की वार्षिक बैठक में, पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर एक रिपोर्ट, एक साथ रसीदों और व्यय के एक बयान के साथ, लेखा परीक्षा के रूप में बैलेंस शीट, और अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किया।
- (3) प्राप्तियां और व्यय, बकाया और वित्तीय प्रावधानों के बयान के संदर्भ में (2) वार्षिक बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कोर्ट के प्रत्येक सदस्य के लिए होगा।
- (4) रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकारी परिषद या उपकुलपित या कुलपित, प्रो. कुलपित या उप-कुलपित द्वारा कोर्ट की विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं।
- (5) कोर्ट के सदस्यों के 1/3 कोर्ट की बैठक के लिए एक कोर्ट बनाए जाएंगे।
- (6) कोर्ट के सदस्यों के अलावा अन्य कोर्ट के सभी सदस्यों को तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करना होगा। इसके अलावा, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी सदस्य अपनी / उसके अधिवेशन पर कोर्ट का सदस्य होगा।
- (7) कर्नाटक के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे कोर्ट के निम्नलिखित सदस्यों के साथ संविधान,

कुलपति (पूर्व-पदेन अध्यक्ष)

कुलपति (पूर्व-पदेन सदस्य)

प्रो. कुलपति (पूर्व-पदेन सदस्य)

वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा पांच डीन्स (सदस्य)

वित्त अधिकारी (पदेन सदस्य)

परीक्षा नियंत्रक (पूर्व-पदेन सदस्य)

लाइब्रेरियन (पूर्व-पदेन सदस्य)

डीन छात्र कल्याण (पूर्व-पदेन सदस्य)

एक प्रोफेसर, वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन दवारा एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर (सदस्य)

आगंतुक (सदस्यों) दवारा नामांकित प्रतिष्टित पेशेवरों के साथ दो व्यक्ति

कार्यकारी परिषद के दो सदस्यों द्वारा नामांकित कुलपति (सदस्य)

चांसलर द्वारा नामित चार व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग एससी / एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक (सदस्य) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चांसलर (सदस्य) द्वारा नामांकित अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दो शिक्षक

चांसलर (सदस्य) दवारा नामांकित कर्नाटक की केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक गैर-शिक्षक स्टाफ

छात्र परिषद के एक प्रतिनिधि, अधिमानतः छात्र परिषद के सचिव जनरल (पूर्व-पदेन सदस्य)

रजिस्ट्रार- (पूर्व-पदेन सदस्य सचिव)

प्रो. चंद्रकांत एम यातनूर, कुलसचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 318 / 17]

CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA

NOTIFICATION

Gulbarga, the 23rd November, 2017

No. CUK/GOV/F. No. 146/2017-18.—The following is published for general information.—

Existing Statute 10

Amendment to Statute I 0 of Central University of Karnataka on the constitution of the Second and Ensuing Court. In accordance with Section 26(b) read with Section 27(2) and Statute 10 of Central Universities Act, 2009

Proposed Amended Statute 10

(1) An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court of any year.	10(1) An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor.
(2) At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.	(2) At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.
(3) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance sheet and the financial estimates referred to in clause (2) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.	(3) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance sheet and the financial estimates referred to in clause (2) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.
(4) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice Chancellor or if there is no Vice Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.	(4) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice Chancellor or if there is no Vice Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.
(5) Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.	$(5) 1/3^{rd}$ of the members of the Court shall form quorum for the meeting of the Court.
	(6) All the members of the Court, other than Ex-officio members shall hold office for a term of three (03) years. Further, a staff member of the University shall cease to be a member of the Court on his/her superannuation.
	(7) Constitution of the Second Court of Central University of Karnataka with the following members;
	1. Chancellor- (Ex-officio Chairman)
	2. Vice-Chancellor (Ex-officio Member)
	3. Pro Vice-Chancellor (Ex-officio Member)
	4. Five Deans by rotation in the order of seniority (Members)
	5. Finance Officer (Ex-officio Member)
	6. Controller of Examinations (Ex-officio Member)
	7. Librarian (Ex-officio Member)
	8. Dean Students Welfare (Ex-officio Member)
	9. One Professor, One Associate Professor & One Assistant Professor by rotation in the order of seniority (Members)

10. Two persons representing learned professionals nominated by the Visitor (Members)
11. Two members of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor (Members)
12. Four persons nominated by the Chancellor, representing each categories SC/ST, OBC, Women and Minority (Members)
13. Two teachers from other Central Universities nominated by the Chancellor (Members)
14. One Non-Teaching staff from the Central University of Karnataka nominated by the Chancellor (Member)
15. One Representative of Students Council preferably General Secretary of the Student Council (Ex-officio Member)
16. The Registrar- (Ex-officio Member Secretary)

Prof. CHANDRA KANT M. YATANOOR, Registrar [ADVT-III/4/Exty./318/17]